न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 16/2018

RCMS No. 2018/00210

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
1 मालतीदेवी पुत्री गोरधनराम जाति जाट निवासी गणेश चौक, मुरड़ावा रोड़, चण्डावल नगर तहसील सोजत		1. विनोदसिंह 2. हुकमसिंह पि0 दिलीपसिंह 3. रतनकंवर पत्नी दिलीपसिंह जातिगण सोलंकी निवासीगण गणेश चौक, मुरडावा रोड़, चण्डावल नगर तहसील सोजत 4. ग्राम पंचायत चण्डावल नगर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री किशन सोनी, विद्वान अभिभाषक **प्रार्थी**

श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 3

–: निर्णय :–

दिनांकः– 15/01/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 53/1999–2000 संकल्प संख्या 27 दिनांक 20.06.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 64, 65 व 66 दिनांक 20.06.2002 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम चण्डावल नगर में प्रार्थी का एक पुश्तैनी आवासीय मकान गणेश चौक, मुरडावा रोड़ पर आया हुआ स्थित है, जिसके आगे खुला चौक था, जिसके पडौस में रूपसिंह एवं गोपालसिंह पि0 शंकरसिंह के मकानात आए हुए स्थित है। भू–खण्ड संख्या 6 पर अप्रार्थीगण का मकान बना हुआ स्थित है, जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 30.11.2015 को विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थीया के घर के आगे सरकारी एवं खुले चौक की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने लगे तथा अपना दरवाजा खोलने पर उतारू हो गए, जबकि उनका मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क की ओर आया हुआ स्थित है। जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि से सम्बन्धित दस्तावेजात् की प्रतियां प्राप्त की, तो यह जानकारी हुई कि अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम से पट्टा संख्या 35, 36 व 37/1964–65 मिसल संख्या 18/1962–63 के प्लोट संख्या 4, 5 व 6 का संयुक्त पट्टा अप्रार्थीगण के दादा रूपसिंह, गोपालसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति

अति० जिला कलेक्टर, पाली

सोलंकी के नाम से ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा दिनांक 27.12.1964 को जारी सुदा है, जिसमें पृथक पृथक रूप से तीन पट्टे जारी किए गए है, जिसमें प्लोट संख्या 4 का माप पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण पूर्व भुजा 20–20 गज अर्थात 40–40 फुट, उत्तर दक्षिण भुजा 32 गज अर्थात 64 फुट व उत्तर दक्षिण पश्चिम भुजा 48 गज अर्थात 96 फुट है। इसी प्रकार भू–खण्ड संख्या 5 की उत्तर दक्षिण पूर्व भुजा 18 गज अर्थात 36 फुट व उत्तर दक्षिण पश्चिम भुजा 32 गज अर्थात 64 फुट है। भू–खण्ड संख्या 6 की पूर्व–पश्चित उत्तर भुजा 38 गज अर्थात 76 फुट, पूर्व पश्चिम दक्षिण भुजा 25 गज अर्थात 50 फुट एवं उत्तर दक्षिण पश्चिम भुजा 18 गज अर्थात 39 फुट है। भू–खण्ड संख्या 6 अप्रार्थीगण के पिता/पति दिलीपसिंह के हिस्से में आया। जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा अपने पट्टासुदा भू–खण्ड से अधिक भूमि अर्थात सार्वजनिक रास्ते एवं चौके की भूमि को सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी करवाए है, जो विधि विरूद्ध है। मिसल कायम होने के दो वर्षो तक पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की एवं उसके पश्चात बिना कोई जांच किए मात्र कागजी खानापूर्ति करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टासुदा भूमि में सार्वजनिक रास्ते एवं चौक की भूमि को सम्मिलित करते हुए पृथक पृथक रूप से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम पट्टे जारी करवाए है, जो विधि विरूद्ध है। मिसल की आदेशिका में रूपसिंह के बयानों का इन्द्राज किया गया है, जबकि आदेशिका पर न तो रूपसिंह के हस्ताक्षर है तथा न ही रूपसिंह के कोई बयान मिसल के संलग्न किए गए है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में पंचायत नियमों का उल्लंघन करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम पृथक पृथक पट्टे जारी किए गए है, जो विधि सम्मत नहीं है। विधि अनुसार पट्टासुदा आराजी का पूर्व में जारी पट्टा अस्तित्व में रहते, दुबारा पट्टा नहीं बनाया जा सकता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम जारी पट्टो को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि के पट्टे पूर्व में बने होना जाहिर किया गया है, वह भूमि तथा जैर निगरानी विवादित आराजी पृथक पृथक है। जैर निगरानी विवादित आराजी के पट्टे नहीं बने है। जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का पुराना कब्जा एवं मकान होने के कारण दिलीपसिंह द्वारा अपने पुत्रों एवं पत्नी के मध्य उक्त भूमि का विभाजन करते हुए पृथक पृथक पट्टे जारी करने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया, जिस अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पृथक पृथक पट्टे बनाने का निवेदन किया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किए गए है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी सारहीन एंव बलहीन होने से खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में जिस मिसल में अपनाई गई प्रक्रिया को प्रश्नगत किया गया है, उस

अति० जिला कलेक्टर, पाली

मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि रतनकंवर पत्नी दिलीपसिंह द्वारा अपने रहवास के मकान का पट्टा बनाने हेतु निवेदन किया, जिसमें मकान के पडौस इस प्रकार दर्शाए, मकान के उत्तर में चण्डावल स्टेशन जाने वाला रास्ता, पूर्व में मुरडावा रोड़ का आम रास्ता, पश्चिम में सन्तोष कुमार पुत्र रूपसिंह का रहवासी मकान एवं दक्षिण में खारिया बाग का जाव। इस पर दिनांक 14.12.1999 को सरपंच ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल दर्ज करने के आदेश पारित किए। इस पर दिनांक 16.12.1999 को मिसल दर्ज कर सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश दिए गए। इसके पश्चात मिसल दिनांक 05.03.2002 को प्रस्तुत हुई, जिसमें नक्शा प्रस्तुत नहीं होने के कारण नक्शा तैयार करने एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। किन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया, यह अंकित ही नहीं है। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा मौका तैयार कर प्रस्तुत किया एवं पंचों द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें नियम 148(2) के तहत आपत्ति पत्र जारी कराने का निवेदन किया। इस पर दिनांक 20.04.2002 को आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 20.04.2002 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो दो स्वतन्त्र व्यक्तियों की उपस्थिति में मौके पर चस्पा किया गया। नियत समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 05.06.2002 को गवाह रूपसिंह के बयान कलमबद्ध किए गए तथा उसके पश्चात दिनांक 20.06.2002 को जैर निगरानी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम पृथक पृथक पट्टे जारी किए गए।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निगरानी के जो आधार लिए गए है, उनमें मुख्य आधार यह लिया है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के दादा एवं अप्रार्थी संख्या 3 के ससुर के नाम पट्टे जारी हो चुके थे, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा पट्टासुदा भूमि के क्षैत्रफल को बढाते हुए सार्वजनिक रास्ते एवं चौक की भूमि को सम्मिलित करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थीगण के नाम पृथक पृथक पट्टे बने है। अब पूर्व में जारी पट्टा संख्या 35/64–65, 36/64–65 व 37/64–65 एवं जैर निगरानी पट्टों का तुलनात्मक अवलोकन करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 3 के पति दिलीपसिंह के हिस्से में जो भूखण्ड संख्या 6 दर्शाया गया है, उसके पट्टा संख्या 37/64–65 है, जिसकी उत्तरी भुजा 38 गज, पश्चिमी भुजा 18 गज एवं दक्षिणी भुजा 35 गज है। इस अनुसार जैर निगरानी तीनों ही पट्टों को समेकित रूप से देखा जाए तो इनकी उत्तरी भुजा 95 फुट, दक्षिणी भुजा 110 फुट, पश्चिमी भुजा 66 फुट तथा पूर्वी भुजा 16 फुट है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टासुदा आराजी के क्षैत्रफल को बढाते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि को सम्मिलित करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 53/1999–2000 संकल्प संख्या 27 दिनांक 20.06.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 64, 65 व 66 दिनांक 20.

अति० जिला कलेक्टर, पाली

06.2002 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 15/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली